ख़्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय, लखनऊ

KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE UNIVERSITY, LUCKNOW

U.P. STATE GOVERNMENT UNIVERSITY

Students' Welfare Fund Policy

1. संक्षिप्त नामः

इस पॉलिसी का नाम छात्र कल्याण कोष पॉलिसी-2022 होगा। यह पॉलिसी विश्वविद्यालय की कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन के उपरांत अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

2. प्रस्तावना

2.1 निर्धनता एवं गरीबी किसी विद्यार्थी की शिक्षा एवं तरक्की की राह में रुकावट न बने, निर्धन एवं मेधावी छात्र/छात्राएँ निर्विघ्न रूप से अपनी शिक्षा ग्रहण कर रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए खवाजा मुईनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय ने निर्धन व मेधावी छात्र छात्राओं के लिए छात्र कल्याण कोष 2022 की स्थापना एवं संचालन करके एक नई एवं महत्वपूर्ण पहल की है।

2.2 यह नीति मूल रूप से विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों से Poor Boys' Fund की मद में जमा धनराशि को Students' Welfare Fund के नाम से संचालित करेगी।

3. उद्देश्य:

इस नीति के उद्देश्य निमन्वत होंगेः

a) निर्धन एवं मेधावी विद्यार्थियों को आंशिक रूप से आर्थिक सहायता प्रदान करना।

b) छात्र कल्याण कोष का उपयोग छात्रों के कल्याण के लिए किया जाना।

c) ऐसे छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिन्हें किसी अन्य सरकारी/ निजी स्रोत से छात्रवृत्ति अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त न होती हो।

d) ऐसे छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना जिनके माता पिता अथवा दोनों में से कोई एक कमाने वाला जीवित न हो।

e) दिव्यांग एवं अपंग विद्यार्थी को आर्थिक सहायता प्रदान करना।

f) ऐसे विद्यार्थी जिनके माता-पिता का निधन आत्महत्या के कारण हुआ हो, वह आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे।

Director, IQAC
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

REGISTRAR
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI
LANGUAGE UNIVERSITY,
LUCKNOW

g) ऐसे विद्यार्थी इस सहायता राशि के पात्र होंगे जो किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हो। ऐसे विद्यार्थियों को बीमारी का उचित प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा।

4. फंड का स्रोतः

उक्त योजना के लिए निम्नानुसार फंड एकत्रित किया जाएगाः

a) प्रत्येक विद्यार्थी से वार्षिक शुल्क में निर्धन छात्र कोष /छात्र कल्याण कोष हेतु योगदान।

b) विद्यार्थी द्वारा भुगतान किया गया विशेष जुर्माना।

c) विद्यार्थी द्वारा स्वैच्छिक योगदान।

d) अन्य स्रोतों / व्यक्तियों द्वारा स्वैच्छिक योगदान।

5. आवेदन कैसे करें?

प्रत्येक शैक्षणिक सत्र में छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय उक्त आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु अधिसूचना (विज्ञप्ति) एवं प्रारूप जारी करेगा। पात्र एवं जरूरतमन्द विद्यार्थी निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन समस्त संलग्नको सहित जमा करेंगे। छात्र कल्याण अधिष्ठाता कार्यालय द्वारा आनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यमों से प्रारूप जारी किया जा सकता है।

6. पात्रताः

एक विद्यार्थी उपर्युक्त आर्थिक सहायता के लिए पात्र होगा, यदि उसके पास:

a) विश्वविद्यालय के नियमित या स्व-वित्त पाठ्यक्रम में वर्तमान सत्र की प्रवेश शुल्क जमा करने की रसीद होगी।

b) उसके माता-पिता या अभिभावकों की कुल आय 2.5 लाख रुपये प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आवेदक को तहसीलदार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। आय प्रमाण पत्र की वैधता छात्रवृत्ति नियमावली के अधीन होगी।

c) पिछले सेमेस्टर या वार्षिक परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाणपत्र।

Director, IQAC
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

Bmisha
REGISTRAR
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI
LANGUAGE UNIVERSITY,
LUCKNOW

d) पिछली परीक्षा न्यूनतम 60% अंकों या समकक्ष ग्रेड के साथ उत्तीर्ण।

e) विद्यार्थी किसी भी गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए। (प्रॉक्टर कार्यालय से जारी प्रमाण पत्र आवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए)

f) यदि किसी विद्यार्थी को किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति अथवा फेलोशिप मिल रही है तो वह उक्त आर्थिक सहायता के लिए पात्र नहीं होगा।

g) विद्यार्थी द्वारा इस आशय का एक अन्डटैकिंग देना होगा कि वह किसी अन्य स्रोत से कोई छात्रवृत्ति अथवा फेलोशिप प्राप्त नहीं कर रहा है।

h) यदि विद्यार्थी अपने माता / पिता की मृत्यु का दावा करता है तो उसे अपने दावे के पक्ष में मृत्यु प्रमाणपत्र जमा करना होगा।

7. भुगतानः

आवेदन करने वाले विद्यार्थी को कुल प्राप्त आवेदन पत्रों, एवं वर्तमान वर्ष में Poor Boys' Fund/ Students' Welfare Fund में जमा की गई राशि की उपलब्धता के आधार पर, समिति की संस्तुति के उपरांत भुगतान किया जाएगा। आर्थिक सहायता की अधिकतम सीमा 15000/-रुपये होगी।

8. समिति का निर्धारण, दायित्व एवं चयन प्रक्रियाः

छात्र कल्याण कोष के सुचारु संचालन के लिए छात्रों की संख्या एवं अन्य मापदंड का निर्धारण निम्न समिति द्वारा किया जाएगा। समिति का स्वरूप निम्नवत होगाः

माननीय कुलपति या उनके द्वारा नामित सदस्य	(अध्यक्ष)
वित्तधिकारी	(सदस्य)
कुलसचिव	(सदस्य)
कोई एक संकायाध्यक्ष मा० कुलपति महोदय द्वारा नामित	(सदस्य)
अधिष्ठाता, छात्र कल्याण	(सदस्य सचिव)

Director, IQAC
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

Bmisha
REGISTRAR
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI
LANGUAGE UNIVERSITY,
LUCKNOW

उक्त समिति छात्र कल्याण कोष के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से छात्रों द्वारा प्रस्तुत आवेदनों पर चर्चा करेगी एवं उम्मीदवारों के चयन एवं धनराशि की मात्रा की संस्तुति करेगी।

समिति द्वारा छात्रों का चयन उनकी पात्रता, रुचि, विशेषज्ञता (यदि कोई हो) और कौशल के आधार पर किया जाएगा।

9. समिति की बैठक:

a) सामान्यतः समिति की बैठक वर्ष में दो बार आयोजित की जाएगी।

b) सदस्य सचिव समिति के अध्यक्ष के परामर्श से बैठक का आयोजन करेंगे, एवं 3 दिन पूर्व बैठक का एजेंडा एवं सूचना जारी करेंगे।

c) आकस्मिक बैठक की स्थिति में अध्यक्ष की अनुमति से 24 घंटे पूर्व सूचना जारी की जाएगी।

d) विशेष परिस्थिति में समिति के किसी सदस्य के लिखित अनुरोध पर बैठक आयोजित करने का प्राविधान होगा।

e) समिति के अध्यक्ष या उनके द्वारा नामित सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में वरिष्ठतम सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेंगे।

f) समिति की बैठक का कोरम 3/5 के अनुपात में पूर्ण होगा।

g) सदस्य सचिव बैठक की कार्यवाही का रिकार्ड अपनी देख रेख में तैयार करेंगे एवं उनके उचित रख-रखाव का प्रबंध करेंगे।

10 छात्र कल्याण कोष द्वारा आर्थिक सहायता को नियंत्रित करने वाले नियमः

a) छात्र कल्याण कोष से संवितरण माननीय कुलपति के अनुमोदन और वित्तीय स्वीकृति के अधीन होगा।

b) छात्र कल्याण कोष का उपयोग निर्धन विद्यार्थियों की सहायता के लिए किया जाएगा। इस निधि से अन्य किसी कार्य हेतु भुगतान की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Director, IQAC
Khwaja Moinuddin Chishti
Language University, Lucknow

Bmisha
REGISTRAR
KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI
LANGUAGE UNIVERSITY,
LUCKNOW

c) यदि उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत दावा या सूचना किसी भी स्तर पर सत्य नहीं पाया गया तो लाभार्थी छात्र को प्रदान की गई सहायता की पूरी राशि वापस करनी होगी। झूठा दावा प्रस्तुत करने पर विद्यार्थी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की संस्तुति की जा सकती है।

d) प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में एकत्र कोष के 50% का उपयोग उपरोक्त योजना के तहत निर्धन छात्र छात्राओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए किया जाएगा।

e) 30% धनराशि का वितरण ऐसे विद्यार्थियों को किया जाएगा जिनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर हो। छात्र/छात्रा को अपंगता हो, एवं विद्यार्थी के माता-पिता अथवा उनमें से कोई एक, जो आर्थिक स्रोत का उत्तरदायी हो, के जीवित न रहने पर।

f) शेष 20% का वितरण विशेष एवं असामान्य परिस्थित्ति में, बिन्दु सं० 8 पर उल्लिखित समिति की संस्तुति पर किया जाएगा। इस संदर्भ में विशेष एवं असामान्य परिस्थिति का निर्धारण समिति द्वारा किया जाएगा।

11. वार्षिक रिपोर्टः

वर्ष की समाप्ति पर एक वार्षिक रिपोर्ट तैयार कर अनुमोदन हेतु समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी एवं उसके बाद उक्त रिपोर्ट से कार्य परिषद को सूचित किया जाएगा।

Director, IQAC Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow	Anisha REGISTRAR KHWAJA MOINUDDIN CHISHTI LANGUAGE UNIVERSITY, LUCKNOW